तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-11-17	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली राजीनामा लोक अदालत हेतु दिनांक 9-12-17 को पेश हो॥	
9-12-17	पत्रावली पेश हुई। राजीनामा लोक अदालत नहीं होने के कारण दिनांक 7-2-18 को पेश हो॥	दिनांक 9/12/17
7.2.18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष ने उपस्थित हो समय चाहा वास्ते पेश करने राजीनामा। जो दिया जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 7.3.18 को पेश हो॥	
7.3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थी / अप्रार्थी के कृषि कार्य में व्यस्त होने के कारण राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं हो पाने संबंधी कथन किया एवं आगामी तारीख पेशी चाही। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 10.4.18 को पेश हो॥	
10 4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 27.4.18 को पेश हो॥	
27 4/18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करने बाबत पत्रावली आगामी दिनांक 15.6.18 कैम्प डीडायच पेश हो॥	
15 6/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प डीडायच में पेश हुई। उभयपक्ष उप०। प्रकरण का राजीनामा व अन्य लीगल लोक से लोक अदालत में न होने तक पत्रावली लोक अदालत कैम्प चौथ का बरवाड़ा में दि० 30-6-18 को पेश हो॥	बद्री लाल सहायक पार्षद (?)
30.6/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत आयोजित लोक अदालत कैम्प कोर्ट चौथ का बरवाड़ा आज पेश हुई। उभयपक्ष वकील, वादी स्वयं एवं प्रतिवादी सं० हरिराम	हरिराम मीणा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
बद्रीलाल [illegible] हरिराम [illegible]	उपस्थित। उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामा होना बताते हुए राजीनामा पेश किया गया जिसको उभय पक्षकारान एवं उनके वकील/अभिभावक गण ने सूझ-बूझ के साथ तैयार करना एवं सर्वसम्मति से सहमत होना जाहिर किया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी के पिता पांच्या पु. गोविन्दा के नाम साबिक खसरा स० 66/3 6बीघा का आवंटन किया गया था। उक्त साबिक खसरा एकचक था सामान्यतः आवंटन भी एक साथ किया जाता है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक खसरा स० 66/3 के तीन नवीन खसरा सं 433 रकबा 0.43 हे०, खसरा सं 435 रकबा 0.32 हे०, 77/1238 रकबा 0.66 बना दिये। एवं वादी की खातेदारी के मध्य मे 77/1321 रकबा 1.26 हेक्ट राजस्व नक्शे में दर्शा दिया गया। इसलिए प्रार्थी ख स० 77/1238 के साथ लगवा खसरा स० 77/1321 कुल रकबा 1.26 हे० में से 0.43 हेक्ट वादी की खातेदारी मे दर्ज करते हुए वादी की खातेदारी भूमि ख स० 433 रकबा 0.43 हेक्ट. को हजफ करते हुए प्रतिवादी स० 2,3,4,5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी जावे। वादी एवं प्रतिवादी स० 2 एवं प्रतिवादी स० 2 लगायत 5 के वकील द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाबत समस्त पक्षकारान मय वकील ने बिना दबाव के राजी खुशी राजीनामा होना स्वीकार करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। वकील प्रतिवादी स० 2 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादी 3 लगायत 5 की अनुपस्थित में उनकी तरफ से सहमति प्रकट की। इस आधार पर राजीनामा स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया गया। पत्रावली / दावा राजीनामा अनुसार निर्णित किया जाता है वादी बद्रीलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी डिडायच की डिडायच स्थित खातेदारी खस० 433 भूमि जो की मुरिवश उसके नाम दर्ज हो गयी थी में से उसका नाम हजफ कर श्री हरिराम पुत्र रामचन्द्र, हरबाई केलारी, राजीबाई पुत्री रामचंद्र को डिडायच के खसरा स० 433 रकबा 0.43 के बराबर-बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स० 2 लगायत 5 के नाम दर्ज खातेदारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	भूमि खसरा सं० 77/1322, 77/1321, 200 कुल किता 3 रकबा 1.64 हैक्टर में से खसरा सं० 77/1321 व रकबा 1.26 हैक्टर० में से 0.43 हैक्टर रकबा उत्तरी तरफ कम करते हुए इस 0.43 हैक्टर को खसरा सं० 77/1238 में शामिल करते हुए नक्शे में तदनुसार तरमीम की जावे वादी को इस 0.43 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावें पत्रावली फैसला शुमार हो दर्ज र० से कम हो। [signature] उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाड़ा	